

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>29/10/18</p>	<p> क्रिये जाने पर उभयपक्ष अधिव्यापकगण की वलय सुनी गई। पचावली तारते आदेश प्रा.प.पों हेतु दि. 29.10.2018 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली </p> <p> वदुलाय अपा रिसोर्टि-2 स.1 व 2 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को अंतरण करवाने की कार्यवाही करने के लिए समय प्रदान करने का निवेदन किया। दूसरी ओर अपीलार्थ की ओर से दिनांक 26/10/2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिसोर्टि-2 द्वारा मौखिक पर निर्माण कार्य कराया जाना काते हुए अन्तरिम व्यादेश पारित करने का निवेदन किया। विद्वान अधिव्यापक रिसो. 2 ने दोराने वलय प्रकरण को अन्तरित करने का निवेदन किया। वही विद्वान अधिव्यापक अपीलार्थ ने अन्तरिम व्यादेश पारित करते हुए प्रकरण के अंतरण का निवेदन किया। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते अपीलार्थ को न्यायालय श्रीमान् जिला कलेक्टर महे. पाली के तारते आदेश सुनवाई हेतु अन्तरित की जाती है। उभयपक्ष न्यायालय श्रीमान् जिला कलेक्टर महे. पाली के साथ आज ही उपस्थित हो। पचावली तारतल अन्तरित होकर इस न्यायालय के नाम पर से कम हो। </p> <p> अति. जिला कलेक्टर, पाली </p>	